न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 87 / 2016 / अपील

पुष्पा देवी पत्नी श्री गैन्दालाल जाति महाजन निवासी ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला मु.न. 16 / 2016 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम पुष्पादेवी आदि

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल

निर्णय दिनांकः—29.12.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला ने अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 15.09.2016 को बिना किसी जांच व बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित कर अपीलांट को धारा 91(2) के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं धारा 91(1) के अन्तर्गत राजकीय गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ती आरोपित करने का निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की, ना ही खसरा संख्या 763 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम बावड़ी की मौका पर किस्म गैर मुमकिन सड़क है। ना ही खसरा नम्बर 763 गैर मुमकीन सड़क कभी रहा है बल्कि खसरा नम्बर 763 की भूमि पूर्व में गै.मु. जोहड़ रही है। जिसे बिना किसी प्रकार की जांच व आदेश के गैर मुमकीन सड़क अंकित कर दिया। पटवारी हल्का ने दिनांक 24.06.2016 का तहसीलदार खण्डेला के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट द्वारा ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 763 रकबा 0.45 है0 गै.मु. सड़क पर जुताई करके पुनः अतिक्रमण कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा का निर्णय पारित कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की, ना ही साक्ष्य लेखबद्व की एवं ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चावर्ती अतिक्रमण मानकर कानूनी भूल की है, क्योंकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण मान्य किया जाने के लिए यह आवश्यक है कि— पूर्व में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया हो और उस अतिक्रमी का कब्जा हटा दिया हो। तत्पश्चात उसने पुनः कब्जा किया हो। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय में पूर्व पत्रावली का सन्दर्भ मात्र दिया है परन्तु साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं था कि अपीलांट ने काश्त करके पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलांट सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांट के कथन

अनुसार अपीलांट का वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 763 पर पूर्व में किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया है एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सिविल कारावास की सजा यदि अपीलांट ने मौके पर से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिया हो तो निरस्त की जाती है। तहसीलदार खण्डेला अतिक्रमण हटाने बाबत जांच कर लेवें तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official